संख्या-03/2018/193/क0नि0प्र0/26-3-2018-14(49)/2014

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांकः 23 फरवरी,2018
समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1611/क0नि0प्र0/26-3-2014-14 (49)/2014 दिनांक 07 जनवरी,2015 के क्रम में आपके पत्र सं0-2112/स0क0/विकास/32/आधारभूत/2014, दिनांक 22 जनवरी,2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना में जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-कटेहरी के ग्राम रानीपुर मोहन, कुर्मीडीहा, पीठापुर सरैया तथा बेनीपुर एवं विकास खण्ड भीटी के ग्राम रूदऊपुर के अधूरे अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 2,49,36,500/- (रू0 दो करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद- अम्बेडकर नगर

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	आवंटित की जा रही धनराशि
1	कटेहरी	रानीपुर मोहन,	सम्पर्क मार्ग/ इण्टरलाकिंग/ नाली निर्माण।	100.00	50.00	50.00
2	कटेहरी	कुर्मीडीहा	सम्पर्क मार्ग/ इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण।	99.71	49.855	49.855
3	कटेहरी	पीठापुर सरैया	सम्पर्क मार्ग/ इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण।	99.75	49.875	49.875
4	कटेहरी	बेनीपुर	सम्पर्क मार्ग/ इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण।	99.84	49.92	49.92
5	भीटी	रूदऊपुर	सम्पर्क मार्ग/ इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण।	99.43	49.715	49.715
				498.73	249.365	249.365

(रू0 दो करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार पांच सौ मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक,समाज कल्याण द्वारा आहरित कर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड अम्बेडकर नगर को अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-664/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए जिले के सम्बन्धित अधिकारी/कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगें।

(4) कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद अवशेष निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रश्नगत कार्यो में बिना समुचित कारणों के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने में लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।

(5) संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(6) स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि की सूचना के साथ कराये गये कार्यो का जनपद के जिलाधिकारी से भौतिक सत्यापन कराकर प्रमाणित प्रति शासन/ निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1/1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ.संख्या-03/2018/193 (1)/क0नि0प्र0/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), अम्बेडकर नगर।
6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड अम्बेडकर नगर।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
8- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।